

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0स0 172/20 ता0रजु 69-20 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 07-02-2020

सरकार

बनाम

दलवीर प्रज मिटाल

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का खेड़ी गडासिया ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है।

कि ग्राम खेड़ी गडासिया के खसरा नम्बर 2257 रकवा 1.03 हैक्ट.


किस्म भूमि चण्डागाट पर सम्बत 2076 में श्री दलवीर प्रज मिटाल, जाति-जाट

गिरदावर खेड़ी गडासिया तह0 बयाना ने 0.16 हैक्ट अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रदरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल बाबजूद सूचना नहीं आया अतः एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 2257 रकवा 0.16 हैक्ट. वाके ग्राम खेड़ी गडासिया से बेदखल किया जाता है। लगान 256 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 128 रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 07-02-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
नायब तहसीलदार  
बयाना

इस बयाना का वाक्यावली  
वा. नं. 04 क. पं. नं. 11  
दिनांक 24/2/20  
न्यायालय  
128/2019